

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1920/2020 दिनांक 16.10.2020

श्री गोविन्द वल्लभ पंत (RJ0348), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नीमकाथाना (सीकर) को दिनांक 18.09.2020 से 19.09.2020 तक 02 दिनों का रूपान्तरित अवकाश दिनांक 20.09.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पंत की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर (सीकर) / वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, नीमकाथाना (सीकर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नीमकाथाना (सीकर) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
16/10/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/53/2000/4718

दिनांक : 16.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 3468 दिनांक 29.09.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री गोविन्द वल्लभ पंत (RJ0348), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नीमकाथाना (सीकर) ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नीमकाथाना (सीकर) ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर (सीकर) ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, नीमकाथाना (सीकर) ।

सहायक रजिस्ट्रार